FAQ – Frequently Asked Questions (प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना (SECTS) योजना के क्या लाभ हैं?

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना अथवा संक्षेप में SECTS – State Employees Cashless Treatment Scheme के लाभार्थी आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में रु० 5.00 लाख तक तथा सरकारी चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य कर्मचारी/पेंशनर स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

- Open https://sects.up.gov.in/
- Click on "Apply for State Health Card" button.
- Fill self-details, then Save & continue.
- Add Dependents, then Save & continue.
- Submit application & wait for approval by DDO/TO.
- After application is approved by DDO/TO, and a message is received go to the link provided in the message or visit https://setu.pmjay.gov.in/setu/checkdeendayal
- Complete Aadhar eKYC and download the card.

राज्य कर्मचारी/पेंशनर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें?

- राज्य कर्मचारी/पेंशनर फॉर्म भरने से पहले निम्न सूचना एकत्रित कर लें:-
    - आधार नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, नियमानुसार आश्रितों की सूची, अपनी तथा सभी आश्रितों की अधिकतम 20kb की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सभी आश्रितों के आधार नंबर, किसी आश्रित के नि:शक्तता की स्थिति में उनका विकलांगता प्रमाणपत्र।

- राज्य कर्मचारी/पेंशनर अपना आधार नंबर व आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सावधानी पूर्वक भरें। फॉर्म Submit हो जाने के पश्चात् आधार नंबर व आधार से जुड़े मोबाइल नंबर में कर्मचारी/पेंशनर स्तर से कोई संशोधन संभव नहीं होगा। सत्यापित होने से पूर्व आधार नंबर व मोबाइल नंबर के अतिरिक्त कोई भी अन्य विवरण "Edit Application" के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।
- राज्य कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के अनुसार ही अपना वेतन भरें। आपकी सहायता हेतु छठें व सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स पोर्टल पर GO/Guidelines के अंतर्गत उपलब्ध करा दिया गया है।
- पेंशनर अपना अंतिम प्राप्त वेतन (सातवें वेतन आयोग के अनुसार) भरें।
- फॉर्म भर जाने के पश्चात, Submit करने से पूर्व भरी गयी संपूर्ण सूचना दोबारा जांच लें।
- आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी अपना स्टेट हेल्थ कार्ड प्राप्त करने के लिए स्वयं भी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।

आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी की क्या जिम्मेदारियां हैं?

- स्वयं से सम्बंधित राज्य कर्मचारी/पेंशनर का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म सही भरवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु अपने कार्यालय के कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारी को जिम्मेदारी सौपें। राज्य कर्मचारी/पेंशनर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के पश्चात् "Submit" करने से पूर्व समस्त विवरण पुनः जांच कर उसकी सत्यता सुनिश्चित कर लें।
- राज्य कर्मचारी/पेंशनर के ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म का सत्यापन करने के पश्चात यदि कर्मचारी/पेंशनर द्वारा भविष्य में किसी संशोधन का अनुरोध किया जाता है तो उसे भी आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित/अनुमोदित किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित करना कि केवल उन कर्मचारियों/पेंशनर्स का पंजीकरण प्रमाणित करें जो राज्य कर्मचारी हों, जैसा कि फाइनेंसियल हैंडबुक में परिभाषित है।

क्या ऐसे कर्मचारी/अधिकारी जो भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश सरकार अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, योजना में शामिल हैं?

हाँ।

क्या उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनर जो वर्तमान में प्रदेश के बाहर आवासित हैं योजना का लाभ ले सकते हैं ?

हाँ। प्रदेश के बाहर आवासित पेंशनर उत्तर प्रदेश के पेंशन निदेशालय अथवा अपने अंतिम कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी से संपर्क कर योजनान्तर्गत पंजीकृत हो सकते हैं।

राज्य कर्मचारी/पेंशनर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में संशोधन कैसे करें?

राज्य कर्मचारी/पेंशनर द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के पश्चात फॉर्म में भरे विवरण में संशोधन योजना के पोर्टल पर “Employee/Pensioner Application” के अंतर्गत “Edit Application” के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं।

क्या ऐसे कर्मचारी/पेंशनर अथवा उनके आश्रित जिनका आधार कार्ड नहीं बना है योजना का लाभ ले सकते हैं?

नहीं। योजना पूर्ण रूप से आधार पर आधारित है तथा एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अतिरिक्त बिना आधार नंबर दिए योजनान्तर्गत किसी का पंजीकरण अथवा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है।